



कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (कृषि प्रभाग)

कार्यालय— अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा

पता— संयुक्त जिला कृषि भवन परिसर, सर्खेलडीह, जामताड़ा, पिन कोड— 815351, झारखण्ड

॥ अति अल्प कालीन निविदा सूचना ॥

अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा।

अति अल्प कालीन निविदा सूचना संख्या— 01 / 2023–24

वित्तीय वर्ष 2023–24 में सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के राज्यादेश संख्या—14 दिनांक—30.05.2023 के अनुपालन में राज्य योजनात्तर्गत कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न लिखित रसायनों, उपस्करणों एवं उपकरणों की आपूर्ति हेतु मुहरबंद लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, आवेदन दिनांक—25.07.2024 से 01.08.2024 तक 7 दिनों के लिये दिनांक—01.08.2024 के अपराह्न 12:00 बजे तक अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा में जमा किये जा सकते हैं एवं दिनांक—01.08.2024 के अपराह्न 02:00 बजे अति अल्प कालीन निविदा खोला जायेगा। वस्तुओं की पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है—

Sl. No.	Items	Qnty.
1	Mrida Parikshak	1 Set
2	Refill	3 Set
3	Distilled Water Drum 20 liter	5 PC
4	Bucket 15 L	10 Pcs.
5	Mug	10 PC
6	Apron M. L. XL SIZE	2 PC each size
7	Liquid soap 10 L	2 PC
8	GPS Meter	1 PC
9	Refrigerator 210 liter	1 PC
10	Table GLASS MOUNTED 3.5 X 2.5 Ft.	1 PC
11	Revolving Chair	6 Pcs.
12	Chair	10 PC
13	Dusting Cloth	2 dozen
14	Hand Towel	6 PC
15	Digital wall clock	1 PC
16	Ceiling Fan	5 PC
17	Wall Fan	4 PC
18	LED Bulb	1 Dozen
19	LED Tube	6 PC
20	Desk Computer with Printer	1 Set
21	Air conditioner 1.5 Ton	1 NO
22	Inverter with Battery	1 Set
23	Almirah big size	1 PC
24	TDS Miter	2 PC
25	Plastic Container 250 MI.	1000 Pcs.

अति अल्प कालीन निविदा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश एवं शर्त से संबंधित पूर्ण जानकारी <https://atmajamtara.org.in> पर उपलब्ध है।

जिला कृषि पदाधिकारी,
जामताड़ा।

निविदा समर्पित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं शर्तेः—

1. GST निबंधन प्रमाण—पत्र एवं GST जमा करने से संबंधित अद्यतन जमा रसीद निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
 2. सशर्त निविदाएँ मान्य नहीं होंगी।
 3. विलंब से प्राप्त निविदाएँ मान्य नहीं होंगी।
 4. निविदा दाता के द्वारा पैन कार्ड के साथ विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 5. निर्माणकर्ता/प्रतिष्ठानों/प्राधिकृत एजेन्सी, राष्ट्रीय/राजकीय अधिकृत आपूर्तिकर्ता का नाम देंगे। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान निविदा दाता कंपनी का अद्यतन प्राधिकार पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 6. निर्माता कंपनी कि प्राधिकृत विक्रेता एवं एजेन्सी को इस आशय का स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र देना होगा उसकी कंपनी/संस्थान केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या किसी अनुषांगिक इकाई द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं की गई है जाँचोपरांत गलत पाये जाने पर निविदा दाता पर वैद्यानिक कार्रवाई की जायेगी।
 7. निविदा से संबंधित अग्रधन की राशि मो0— 5000.00 (पॉच हजार) रुपये का मूल बैंक ड्राफ्ट अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रक्रिया उपरांत चयनित फर्म को छोड़कर अन्य सभी फर्म/संस्थान की अग्रधन से संबंधित ड्राफ्ट वापस कर दी जायेगी।
 8. निविदा दाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को निविदा खुलने की तिथि के समय उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
 9. रसायन उपस्कर एवं उपकरणों की आपूर्ति सभी करों सहित प्रति ईकाई (01 unit) सूची क्रमांक के अनुरूप उनके नाम के सामने वाले स्तम्भ में कम्प्यूटर टंकित रूप में अंकित करेंगे। निविदा में दिये गये मूल्य किसी भी परिस्थिति में बाजार मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिये। भविष्य में जाँचोपरांत मूल्य में भन्नता पाये जाने पर निविदा दाता स्वंय व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे और वे सभी प्रकार के वैद्यानिक कार्रवाई के भागी होंगे।
 10. निविदा का तकनीकी एवं मूल्य भाग अलग—अलग मुहरबंद लिफाफे में समर्पित करना अनिवार्य होगा। तकनीकी भाग में निविदा रसायन, उपस्कर एवं उपकरण का नाम (क्रमांक के अनुसार) पैकिंग, फीचर एवं साईज के साथ अंकित करना होगा, साथ ही निविदा दाता जिन रसायनों, उपस्करों एवं उपकरणों को मूल्य भाग में शामिल रखेंगे उन्हें तकनीकी भाग मूल्य सहित (Without Price) करते हुए सूचीबद्ध करेंगे ताकि उनके द्वारा निविदत उपकरण, रसायन एवं उपस्कर की जानकारी हो सके। सफल निविदा दाताओं का मूल्य भाग पर विचार किया जायेगा।
 11. निविदा दाता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले रसायन, उपकरण एवं उपस्कर सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अधीन होना चाहिये, मापदंड के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में वैसे निविदा दाता पर विचार नहीं किया जायेगा।
- अन्य शर्तेः—
1. बिना कारण बताये निविदा आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करने का सर्वाधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं विशेष परिस्थिति में निविदा के शर्तों में संशोधन एवं शिथिल करने हेतु जिला क्रय समिति (कृषि विभाग) जामताड़ा को सुरक्षित/अधिकृत होगा।

- इस निविदा के आधार पर निर्धारित दर वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक के लिये मान्य होगा। विशेष परिस्थिति यथा ससमय आपूर्ति नहीं करने एवं गुणवत्ता निम्न पाये जाने की स्थिति में निविदा रद्द करते हुए भुगतान की प्रक्रिया लंबित रखी जायेगी।
- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जामताड़ा होगा।

जिला कृषि पदाधिकारी,
जामताड़ा।



झारखण्ड

सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (कृषि प्रभाग)

कार्यालय— अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा

पता— संयुक्त जिला कृषि भवन परिसर, सर्खेलडीह, जामताड़ा, पिन कोड— 815351, झारखण्ड

॥ अति अल्प कालीन निविदा सूचना ॥

अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा।

निविदा सूचना संख्या— 02 / 2023–24

वित्तीय वर्ष 2023–24 में सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के राज्यादेश संख्या—63, दिनांक—01.01.2024 के अनुपालन में राज्य योजनात्तर्गत Leaf Color Chart की आपूर्ति हेतु मुहरबंद लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, आवेदन दिनांक—26.07.2024 से 05.08.2024 तक 11 दिनों के लिये दिनांक—05.08.2024 के अपराह्न 12:00 बजे तक अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा में जमा किये जा सकते हैं एवं दिनांक—05.08.2024 के अपराह्न 02:00 बजे अति अल्प कालीन निविदा खोला जायेगा। वस्तुओं की पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार है—

Sl. No.	Items	Qnty.
1	धान फसल हेतु 5 Panen Leaf Color Chart (LCC),	1 Pcs.
2	गेंहूँ फसल हेतु 6 Panen Leaf Color Chart (LCC),	1 Pcs.
3	मक्का फसल हेतु 6 Panen Leaf Color Chart (LCC),	1 Pcs.

नोट:— पूर्ण जानकारी हेतु <https://atmajamtara.org.in> पर उपलब्ध है।

जिला कृषि पदाधिकारी,
जामताड़ा।

निविदा समर्पित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं शर्तें:-

1. GST निबंधन प्रमाण—पत्र एवं GST जमा करने से संबंधित अद्यतन जमा रसीद निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
 2. सशर्त निविदाएँ मान्य नहीं होंगी।
 3. विलंब से प्राप्त निविदाएँ मान्य नहीं होंगी।
 4. निविदा दाता के द्वारा पैन कार्ड के साथ विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 5. निर्माणकर्ता/प्रतिष्ठानों/प्राधिकृत एजेन्सी, राष्ट्रीय/राजकीय अधिकृत आपूर्तिकर्ता का नाम देंगे। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान निविदा दाता कंपनी का अद्यतन प्राधिकार पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 6. निर्माता कम्पनी कि प्राधिकृत विक्रेता एवं एजेन्सी को इस आशय का स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र देना होगा उसकी कम्पनी/संस्थान केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या किसी अनुषांगिक इकाई द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं की गई है जाँचोपरांत गलत पाये जाने पर निविदा दाता पर वैद्यानिक कार्रवाई की जायेगी।
 7. निविदा से संबंधित अग्रधन की राशि मो0—5000.00 (पॉच हजार) रुपये का मूल बैंक ड्राफ्ट अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रक्रिया उपरांत चयनित फर्म को छोड़कर अन्य सभी फर्म/संस्थान की अग्रधन से संबंधित ड्राफ्ट वापस कर दी जायेगी।
 8. निविदा दाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को निविदा खुलने की तिथि के समय उपरिथित रहना अनिवार्य होगा।
 9. उपस्कर की आपूर्ति सभी करों सहित प्रति ईकाई (01 unit) सूची क्रमांक के अनुरूप उनके नाम के सामने वाले स्तम्भ में कम्प्यूटर टंकित रूप में अंकित करेंगे। निविदा में दिये गये मूल्य किसी भी परिस्थिति में बाजार मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिये। भविष्य में जाँचोपरांत मूल्य में भिन्नता पाये जाने पर निविदा दाता स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे और वे सभी प्रकार के वैद्यानिक कार्रवाई के भागी होंगे।
 10. निविदा का तकनीकी एवं मूल्य भाग अलग—अलग मुहरबंद लिफाफे में समर्पित करना अनिवार्य होगा। तकनीकी भाग में निविदा रसायन, उपस्कर एवं उपकरण का नाम (क्रमांक के अनुसार) पैकिंग, फीचर एवं साईज के साथ अंकित करना होगा, साथ ही निविदा दाता जिन रसायनों, उपस्करों एवं उपकरणों को मूल्य भाग में शामिल रखेंगे उन्हें तकनीकी भाग मूल्य सहित (Without Price) करते हुए सूचीबद्ध करेंगे ताकि उनके द्वारा निविदत उपकरण, रसायन एवं उपस्कर की जानकारी हो सके। सफल निविदा दाताओं का मूल्य भाग पर विचार किया जायेगा।
 11. निविदा दाता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले उपकरण केंद्र/राज्य/ICAR द्वारा निर्धारित मापदंड के अधीन होना चाहिये, मापदंड के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में वैसे निविदा दाता पर विचार नहीं किया जायेगा।
- अन्य शर्तें—
12. बिना कारण बताये निविदा आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द करने का सर्वाधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं विशेष परिस्थिति में निविदा के शर्तों में संशोधन एवं शिथिल करने हेतु जिला क्रय समिति (कृषि विभाग) जामताड़ा को सुरक्षित/अधिकृत होगा।

13. इस निविदा के आधार पर निर्धारित दर वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2026–27 तक के लिये मान्य होगा। विशेष परिस्थिति यथा ससमय आपूर्ति नहीं करने एवं गुणवत्ता निम्न पाये जाने की स्थिति में निविदा रद्द करते हुए भुगतान की प्रक्रिया लंबित रखी जायेगी।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जामताड़ा होगा।

जिला कृषि पदाधिकारी,
जामताड़ा।